

कार्यालय, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, परैया (गया)

पत्रांक...१०१/ दिनांक...१३.१२.२०२१

प्रेषक,

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी
परैया गया।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
गया।

विषय:-

पुर्नबहाल ज०वि०प्र० विक्रेता, श्री विजय रविदास FPS ID 123800300276 पंचायत-सोलरा प्रखण्ड-परैया को माह-दिसम्बर 2021 का खाद्यान्न उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक अनुमण्डल पदाधिकारी, टिकारी के आदेश ज्ञापक-287/दिनांक-12.10.2021 द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान का संचालन करने की स्वीकृति दी गई है। अनुज्ञप्ति से संबंधित श्री विजय रविदास ज०वि०प्र० विक्रेता, अनु० संख्या-31/2016 EPDS CODE 123800300276 ग्राम-सोलरा, पंचायत-सोलरा प्रखण्ड-परैया भवदीय को प्रतिवेदित करना है कि संबंधित विक्रेता की अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित की गयी है। अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित होने के बाद FPSMS पर सभी औपचारिकता पुरी कर ली गयी है।

मात्रा किग्र० में

क्र० स०	ज०वि०प्र० विक्रेता का नाम	FPS CODE	योजना का नाम	गेहूँ	चावल	अभ्युक्ति
1	श्री विजय रविदास	123800300276	PHH	4000	6000	
			PMGKAY PHH	4000	6000	
			AAY	800	1200	
			PMGKAY AAY	800	1200	


अतः उपरोक्त पुर्नबहाल किए गए ज०वि०प्र० विक्रेता से संबंधित वांछित कागजात प्राप्त कर इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि संबंधित पुर्नबहाल विक्रेता के FPS ID 123800300276 से संबंधित माह-दिसम्बर 2021 के लिए उपावंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि संबद्ध लाभुकों के बीच ससमय पर खाद्यान्न का वितरण कराया जा सके।

विश्वासभाजन


प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी,
परैया (गया)

ज्ञापक...१०१/आ०, दिनांक...१३/१२/२०२१

प्रतिलिपि:- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गया को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।
प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, टिकारी गया की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- श्री पवन कुमार Project Engineer (आपूर्ति), गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी,
परैया (गया)



अनुमण्डल पदाधिकारी, टिकारी (गया)।

(आपूर्ति शाखा)

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश

C.W.J.C संख्या-16031/2021 विजय रविदास, पिता-रामकृत राम, ग्राम-नीवा, पंचायत-सोलरा प्रखण्ड-परैया, थाना-परैया, जिला-गया एवं अन्य बनाम बिहार सरकार, दिनांक-16.09.2021 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश "Having regard to the facts and circumstances of the case and considering the provisions contained in Rule 28 of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016, this Court finds that the Period of suspension of the license of the petitioner has exceeded a period of 180 days, however, no final decision has been taken, hence, the impugned order dated 22-04-2020, passed by the Sub-Divisional Officer Tikari, Gaya, Suspending the license of the petitioners is contrary to Rule 28 of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016, thus is bad in law, hence is quashed. The writ petition stands allowed." के आलोक में विजय रविदास निलंबित जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या-31/2016 द्वारा अपने निम्नलिखित अनुज्ञप्ति को निलंबनमुक्त कर पुनर्बहाल करने के संबंध में आवेदन कार्यालय को दिया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश के आलोक में श्री विजय रविदास, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या-31/2016, ग्राम-नीवा, पंचायत-सोलरा थाना-परैया, जिला-गया के नाम से निर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या-31/2016 जिसे इस कार्यालय के ज्ञापक-144/आ०, दिनांक-24.04.2020 द्वारा निलंबित किया गया था, को तत्काल निलंबनमुक्त करते हुए पुनर्बहाल किया जाता है। उक्त जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी को निर्देशित किया जाता है कि इस हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क ट्रेजरी में जमा करेंगे। साथ ही अनुज्ञप्ति वैधता की समय-सीमा समाप्ति की स्थिति में नियमानुसार अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, परैया को निर्देश दिया जाता है कि नई अनुज्ञप्ति के फीस के समतुल्य फीस का ट्रेजरी चालान से भुगतान प्राप्त होने का साक्ष्य इत्यादी प्राप्ति होने के उपरान्त ही नियमानुसार पूर्व की भाँति आवंटन उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधानानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी
टिकारी (गया)

अनुमण्डल पदाधिकारी
टिकारी (गया)

ज्ञापक-287.../आ०, टिकारी, दिनांक-12/10/2021

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी महोदय, गया को तत्पर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, परैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सहायक प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, परैया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-किरासन तेल के थोक विक्रेता, गुरारु/गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-विजय रविदास, पिता-रामकृत राम, ग्राम-नीवा, पंचायत-सोलरा थाना-परैया, जिला-गया, अनुज्ञप्ति संख्या-31/2016 को सूचनार्थ एवं अनुमानार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
टिकारी (गया)

अनुमण्डल पदाधिकारी
टिकारी (गया)